वैवेल योजना (Wavell Plan) 1945

1945 ई० के आरम्भ में लार्ड वैवेल भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। इसके पूर्व वे भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। भारत समस्या के प्रति वे काफी उदार थे। भारत आते ही उन्होंने कहा कि, "मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूँ।" भारत आते ही उन्होंने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयत्न करना आरम्भ किया। प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतीय स्थिति की पूर्ण जानकारी तथा वायसराय से परामर्श कर लार्ड वैवेल भारत लौटे और 14 जून 1945 को उन्होंने रेडियो भाषण से अपनी योजना प्रकाशित की जो वैवेल योजना के नाम से जाना जाता है।

वैवेल योजना के प्रस्तुत होने के कारण (Cause for the proposal of Wavell plan) :- योजना के निम्नलिखित कारण थे —

(i) भारत में अकाल (Famine in India) :- 1943-44 में भारत के कई भागों में अकाल पड़ा। यह अकाल मालाबार, बीजापुर और बंगाल में विशेष रूप से उग्र था। सरकारी अनुमान के अनुसार इसमें 15 लाख व्यक्ति मारे गए तथा 45 लाख व्यक्तियों को असहनीय दुःख उठाने पड़े जो ब्रिटिश राज का यह नतीजा था और यही उसकी रामबाण थी।"

(ii) कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी तथा कैद से जनता में रोष (General resentment detention of the congress leaders) :- कांग्रेसी नेताओं को अगस्त 1942 ई० में जेल में 'भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ जेल में सरकार का व्यवहार अच्छा नहीं था। इससे जनता में शासन के विरुद्ध रोष था।

(iii) यूरोप में युद्ध का अन्त तथा मित्र राष्ट्रों की विजय (End of European war and the victory of Allies) द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति पर था। यूरोप में मित्र राष्ट्र विजयी हो गए थे। इटली ने 1943 में और जर्मनी ने 7 मई 1945 को अपनी हार स्वीकार कर ली थी परन्तु एशिया में युद्ध की शीघ्र समाप्ति के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। अमेरिका इस बात से परिचित था कि भारत के सहयोग से जापान की पराजय बहुत सरल हो जाएगी। इसलिए अब अमेरिका ने ब्रिटेन पर भारतीय राजनीतिक गतिरोध सुलझाने के लिए और अधिक दबाव डालना प्रारंभ कर दिया।

(iv) इंगलैण्ड के साथी देशों का चर्चिल पर दबाव Allied pressure on Churchil) :- मित्र राष्ट्रों के सैनिक अधिकारी इस बात पर एकमत थे कि जापान के साथ युद्ध अभी सब दो वर्ष और चलेगा। अतः वे स्वयं ब्रिटेन गए और ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता में उन्होंने नवीन योजना पर बल दिया।

(v) ब्रिटेन में आगामी चुनाव (Coming election of Great Britain) :- ग्रेट ब्रिटेन में युद्धोपरान्त सार्वजनिक निर्वाचन होनेवाले थे। ब्रिटिश श्रमिक दल ने

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

ढाँचे का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसमें एक बहुत ही जटिल संघात्मक व्यवस्था तथा अल्प संख्यकों और विधायकों के कानूनी संरक्षण का प्रावधान किया गया था। विश्व के लम्बे और जटिल संविधानों में इसका स्थान आता है।

(iii) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता :- इस अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता (Supremacy of British Parliament) पूर्ववत बनी रही। उसे ही संविधान में संशोधन करने, सुधार करने तथा संविधान को रद्द करने का अधिकार था। संघीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों को सांविधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। वे केवल विशेष परिस्थितियों में कुछ विषयों के संबंध में सुझाव दे सकते थे।

(iv) प्रांतीय स्वायत्तता अथवा स्वराज्य :- 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वराज्य व प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ है। इस पद्धति के अनुसार प्रान्तों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों को अपने मामले में काफी हद तक प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता दी गई। प्रान्तों में दोहरे शासन का अन्त कर दिया गया। इसलिए प्रान्तों में आरक्षित विषयों तथा हस्तांतरित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया। जो विषय प्रान्तों को दिए गए उनमें प्रान्तों को स्वशासन दे दिया गया और केन्द्रीय नियंत्रण बहुत कम कर दिया गया। प्रान्तीय शासन को चलाने का भार मंत्रियों पर आ पड़ा जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस तरह से प्रांतीय शासन की बागडोर भारतीय मंत्रियों के हाथों में आ गई और प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। मंत्रियों के मामलों में गवर्नर कम दखल देते थे। यद्यपि उनके पास काफी शक्तियाँ थी।

(v) केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली :- केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केन्द्रीय सरकार के विषयों को दो भागों, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का शासन गवर्नर जनरल को तथा हस्तांतरित विषय का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। लेकिन मंत्रिपरिषद का अधिकार सीमित था।

(vi) संघीय शासन व्यवस्था :- 1935 के ऐक्ट के अनुसार यह निर्णय किया गया कि केन्द्र में ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ ।। ब्रिटिश गवर्नर- प्रान्तों, 6 चीफ कमिश्नर प्रान्तों और देशी रियासतों से मिलाकर बनना था जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए।

(vi) विषयों का बंटवारा :- 1935 के ऐक्ट में विषयों का बँटवारा करने के लिए तीन सूचियाँ बनाई गयी। संघीय सूची में 59 विषय, प्रान्तीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। ऐसे विषय जो अखिल भारतीय हित में थे, वे संघीय सूची में रखे गए। उदाहरण स्वरूप सशस्त्र सेनाएँ, मुद्रा व नोट, डाक

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

कुछ व्यक्ति पेड़ों पर चढ़ गये। किन्तु इन्हें भी बचने न दिया गया। उन्हें मारने के लिए गोलियाँ ऊपर की ओर चलायी गई। उन ऊँची दिवारों पर जहाँ-जहाँ गोलियाँ लगी, आज भी उसका प्रमाण साक्ष्य के रूप में गवाह है। गोलीकाण्ड के बाद अमृतसर और पास के शहरों में मार्शल कानून घोषित कर दिया गया। समाचारों को बाहर फैलने से रोकने के लिए समस्त क्षेत्र पर लौहावरण डाल दिया गया। अन्धाधुन्ध कोड़े व गोलियाँ बरसायी गयी, यहाँ तक कि हेलीकाप्टर से भी बम वर्षा हुआ। इसके साथ ही साथ सड़क पर जानवरों की चाल की तरह चार पैर (दो हाथ + दो पैर) की भाँति घिसटकर घर से आने व जाने के लिए हुक्म दिया गया। (समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी॰के॰ कालेज, डुमराँव
दिनांक 22/08/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA